(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेडा जिला भीलवाडा(राज.)

अजा अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेडा मुकाम बनेडा

श्री दुर्गालाल तेली वगै0 **बनाम** नाथु तेली वगै0

किस्म मुकदमा ....प्रा.पत्र 212 आर.टी.एक्ट..न. 3 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकमा जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
05.01.2018	प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात ग्राम सरदारनगर पटवार हल्का सरदारनगर भू0अ0निरीक्षक सरदारनगर तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित खतौनी सख्या 434 के **आराजी सख्यां 540, 541, 1455, 1456, 1457, 1458 कुल किता 6 कुल रकबा 05–10 बीघा** आराजीयात जो वर्तमान में प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण संख्या के नाम संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। जिसमें उपस्थित प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र बहस करनी चाहने से, बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थीगण द्वारा कथन कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण विवादग्रस्त आराजीयात पर हक हिस्से अनुसार काबिज हो उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण बिना विभाजन कराये प्रार्थीगण की आराजीयात पर जबरन अवैध निमार्ण करने एंव वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है। यदि भविष्य में विपक्षीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात से प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया जाता है या आराजीयात को विक्रय, अन्तरण, हस्तान्तरण, रहन, बक्षीस, अवैध निर्माण कार्य आदि कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णिय क्षति होगी, वादपत्र व प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कोई ओचित्य ही नही रह जावेगा। अतः प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगणो को रेकार्ड एंव मौके कि यथास्थिती बनाये रखने बाबत पांबद किये जाना फरमावें। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध आधार राजस्व अभिलेख दस्तावेजात के अवलोकन/परिक्षण से यह प्रतीत होता है कि यदि विपक्षीगण द्वारा विवादग्रस्त आराजीयात पर बिना विभाजन कराये जबरन निमार्ण कार्य कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से प्रार्थीगण के हक प्रभावित होगें। इसके अतिरिक्त सुविधा व संतुलन की दृष्टी को मध्यनजर रखते हुए भी प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष प्रथमदृष्टया बनता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र इस प्रकार आंशिक स्वीकार किया जाता है की प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात ग्राम सरदारनगर पटवार हल्का सरदारनगर भू0अ0निरीक्षक सरदारनगर तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित खतौनी सख्या 434 के **आराजी सख्यां 540, 541, 1455, 1456, 1457, 1458 कुल किता 6 कुल रकबा 05–10 बीघा** में राजस्व रेकार्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 07 को अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी पैशी दिनांक तक पाबंद किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणो को जरिये सम्मन/नोटीस तलब किया जावें। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 20-2-17 को पैश हो। उपखण्ड अधिकारी बनेडा जिला भीलवाडा उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा (भीलवाड़ा)	